



दिनांक- 05.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 पाउच देशी शराब चेतक मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम शहीद वाला ग्रन्ट थाना बुग्गवाला जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड)** को मलिक कार धुलाई सेन्टर के सामने सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 50 पाउच देशी शराब चेतक मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

अंकित कुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम शहीद वाला ग्रन्ट थाना बुग्गवाला जि0 हरिद्वार उत्तराखंड

बरामदगी का विवरण

50 पाउच देशी शराब चेतक मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. का0 2275 रूपेश कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. रि0आ0 550 नवनीत थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 08 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

घटना का विवरण:- दिनांक 04.07.2026 को वादी अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम जयपुर माजरा जडोदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर मो0न0 9027288163 की दाखिल तहरीर बाबत अभियुक्त अनुज पुत्र देवेन्द्र उर्फ बिन्दर निवासी ग्राम जयपुर माजरा जडोदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पिता सुरेन्द्र उम्र करीब 48 वर्ष की लकड़ी के फट्टे से पीट-पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 331/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र देवेन्द्र उर्फ बिन्दर निवासी ग्राम जयपुर माजरा जडोदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को मात्र 08 घण्टे में छिदबना मोड दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अनुज ने पूछताछ करने पर बताया कि सुरेन्द्र जो रिस्ते में मेरा तहेरा भाई लगता है। हम दोनों काफी वर्षों से एक साथ मजदूरी करते थे। मैंने जरूरत पड़ने पर सुरेन्द्र से धीरे-2 करके 50 हजार रु0 उधार ले लिए थे। सुरेन्द्र काफी समय से मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहा था। जिसको लेकर हम दोनों के बीच में कुछ दिनों से अन-बन चल रही थी। मैं, सुरेन्द्र द्वारा रोज रोज अपने उधार के पैसे मागे जाने से तंग आ चुका था पिछले करीब एक महीने से सुरेन्द्र ग्राम फतेहपुर जट्ट नवादा रोड पर बन रही सड़क पर मजदूरी कर रहा था तथा वही पर सनसाईन स्कूल के पास राजेन्द्र कुमार के नये बन रहे मकान में रह रहा था। तथा सुरेन्द्र की पत्नि उसके साथ रहती थी करीब तीन चार दिन पहले सुरेन्द्र की पत्नि गांव में आ गयी थी। तो मैंने योजना बनायी कि सुरेन्द्र अब रात में अकेला सोता होगा उसको निपटाने का ये अच्छा मौका है। योजना के मुताबिक मैं दिनांक 03.07.2026 को सुरेन्द्र के पास पहुंचा और उसको शाम के समय शराब पिलायी तथा मैंने भी शराब पी। शराब पीते पीते ही सुरेन्द्र ने मुझसे 50 हजार रु0 के लिए टोका व देने को कहा तो मुझ बहुत बुरा लगा तथा मैंने सोच लिया कि आज रात में अच्छा मौका है सुरेन्द्र को जान से मारकर मैं यहां से भाग जाऊंगा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मैं सुरेन्द्र को उसके 50 हजार रु0 देने से भी बच जाऊंगा योजना के मुताबिक आधी रात को जब आस पास के सब लोग अपने अपने-2 घरों में चले गये तथा सुरेन्द्र भी वही मकान में सो गया तो मैंने वही मकान के अन्दर पड़े लकड़ी के फट्टे से सुरेन्द्र को जान से मारने की नीयत से सुरेन्द्र के शरीर पर ताबड़तोड़ बार करने शुरू कर दिये और सुरेन्द्र के सिर तथा चेहरे पर तब तक वार करता रहा जब तक वह मर नहीं गया और उसी दौरान शोर सुनकर वहाँ आस पास के लोग आ गये जिन्होंने बाहर से गेट खटखटाते हुए आवाज लगायी कि अन्दर फट फट की क्या आवाज आ रही है व अन्दर क्या हो रहा है। तो मैंने गेट के अन्दर जाली से झांककर बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तब उन लोगों ने कहा कि यंहा तो सुरेन्द्र रहता है तुम कौन हो तो मैंने कहा कि मैं सुरेन्द्र का भाई हूँ मेरा नाम अनुज है सुरेन्द्र सो रहा है। तब उन लोगों ने कहा कि सुरेन्द्र को जगाकर हमारी बात करा दो उसी दौरान उन लोगों ने गेट के ऊपर जाली से टार्च लगाकर देखा था मेरे हाथ पैर खून में सने थे तथा सुरेन्द्र जमीन पर खून से लथ पथ पड़ा था तब उन लोगों ने मुझे गेट खोलने के लिए कहा मेरे गेट न खोलने पर उन्होंने पुलिस को बुलाने के लिए कहा तो मैंने उनसे कह दिया कि मैंने सुरेन्द्र को मार दिया है तुम्हें जो करना है कर लो उन लोगों के टार्च जलाने से पहले ही मैंने सुरेन्द्र को मारते समय पहने कपड़े जिन पर खून के धब्बे लग गये थे। को पानी से धो दिया था तथा धुले कपड़े व लकड़ी के फट्टे को मैंने धीरे से मकान की साईड में फेंक दिये थे। उसी दौरान मौके पर और भी काफी लोग आ गये थे। मैं भीड़ व अन्धरे का फायदा उठाकर वंहा से निकल गया था

तथा कपड़े व लकड़ी का फट्टा जिससे मैंने सुरेन्द्र को मारा था पास में ही झाड़ियों में छिपाकर जंगल में जाकर छिप गया था। सहाब मुझे सुरेन्द्र के उधार के 50 हजार रु० ना देने पड़े इसलिए मैंने सुरेन्द्र को जान से मार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनुज पुत्र देवेन्द्र उर्फ बिन्दर निवासी ग्राम जयपुर माजरा जडोदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 लकड़ी का फट्टा खून लगा (आला कत्ल)
- घटना के समय पहने कपड़े

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. व०उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. उ०नि० श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
4. है०का० 730 विजय सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
5. रि०का० 296 हर्ष कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
6. चालक दीपक थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त एहसान पुत्र बाबूद्दीन निवासी ग्राम मौहल्ला मौलवी साहब कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 301/22 व मु०अ०स० 418/26 धारा 4/25 आर्म एक्ट में कैलाशपुर कस्बा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

एहसान पुत्र बाबूद्दीन निवासी ग्राम मौहल्ला मौलवी साहब कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री शिव कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. का० 2010 विक्रान्त थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर



दिनांक- 05-07-2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही
थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर
गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस व 01 स्विफ्ट डिजायर बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.07.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **मुरसलीन पुत्र दिलशाद निबन्दरजुडा थाना 0 वर्ष 31 बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उम्र करीबको कमेशपुर अंडर पास के नजदीक** से समय 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **कुल 150 ग्राम चरस व एक स्विफ्ट कार न0 UK07TD3887** बरामद हुई। बरामद कार **स्विफ्ट कार न0 UK07TD3887** को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 266/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुरसलीन पुत्र दिलशाद निवासी बन्दरजुडा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार

बरामदगी का विवरण -

- 150 ग्राम चरस
- एक स्विफ्ट कार न0 UK07TD3887

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 1110 प्रेम चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0का0 809 आकाश कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 05.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ देकर **दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 05.07.2026 को वादिया की दाखिला तहरीर बाबत अभियुक्त अनस पुत्र जाकिर निवासी खजूरतला हाशिम चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर द्वारा वादिया को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिया व वादिया के पति व बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 330/2026 धारा 123/64(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए **वांछित अभियुक्त अनस पुत्र जाकिर निवासी खजूरतला हाशिम चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को चिलकाना रोड पर अमन पैलेस के पास से समय 10.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनस उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनस पुत्र जाकिर निवासी खजूरतला हाशिम चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2389 नरेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 1196 अनिकेत सागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी एक भैंस बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 19.06.2026 को वादी श्री रवि पुत्र सुमेर निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 28/29.05.26 को सुबह 05.15 बजे अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में से वादी की भैंस को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 258/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04/05.07.2026 की रात्रि में थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 अभियुक्त आमिर पुत्र इरफान निवासी ग्राम डन्डोली खेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को सीएचसी बेहट के पास पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर ग्राम अब्दुल्लापुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई भैंस बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आमिर पुत्र इरफान निवासी ग्राम डन्डोली खेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 भैंस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 902 गोविन्द सिंह थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
5. का0 1823 श्रवण कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 535 किलो बिजली के प्लास्टिक पाईप, 84 किलो बिजली का एल्युमिनियम तार व घटना में प्रयुक्त डीसीएम गाडी (सीज 207 एमवी एक्ट) बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 02.07.2026 को वादी श्री प्रशान्त राघव पुत्र संजय निवासी रंजीत नगर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3*300XLPE केबल का एक ड्रम चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 487/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. नफीस पुत्र सददीक निवासी मौहल्ला पुरानी तहसील कोर्ट रोड बागपत थाना बागपत जनपद बागपत व 2. जैयद पुत्र निजुददीन निवासी मौहल्ला बन्जारो वाली मस्जिद फरीद नगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को साखन नहर हाईव से नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की गये 535 किलो बिजली के पाईप की प्लास्टिक, 84 किलो बिजली का तार एल्युमिनियम व घटना में प्रयुक्त डीसीएम UP15 FT 9574 (सीज 207 एमवी एक्ट) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. नफीस पुत्र सददीक निवासी मौहल्ला पुरानी तहसील कोर्ट रोड बागपत थाना बागपत जनपद बागपत
2. जैयद पुत्र निजुददीन निवासी मौहल्ला बन्जारो वाली मस्जिद फरीद नगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

- 535 किग्रा0 बिजली के पाईप की प्लास्टिक
- 84 किग्रा0 बिजली का तार एल्युमिनियम
- एक डीसीएम UP15 FT 9574 (सीज 207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
2. है0का0 2209 रविन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
3. का0 2237 योगेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
4. रि0का0 668 अतुल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
5. रि0का0 667 मनीष कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.07.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र को रखने व तस्करी की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त सन्नी उर्फ काका पुत्र श्यामलाल निवासी मकान न0 टी-04 काशीराम कॉलोनी पेपर मिल रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को शेखपुरा कदीम से वनी के रास्ते नाजिरपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 325/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

सन्नी उर्फ काका पुत्र श्यामलाल निवासी टी-04 काशीराम कॉलोनी पेपर मिल रोड थाना को0 देहात, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. का0 2098 अमित कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1501 मोहित कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 1718 अंकित धामा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक - 05.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **विजय उर्फ राकी पुत्र जयपाल निवासी मौ० काजियान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं० 1012/2025 अ०सं० 89/2024 धारा 2/3 गैंग०अधि० सम्बन्धित मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंग०एक्ट) कक्ष सं०-05 सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

विजय उर्फ राकी पुत्र जयपाल निवासी मौ० काजियान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. है०का० 570 योगेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
3. का० 1864 बोबी सागर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



दिनांक- 05.07.2026

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना कोतवाली देहात पुलिस की एन्टीरोमियो टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 450 ग्राम अवैध चरस व 2850/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा”के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात की एन्टीरोमियो टीम द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान **02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता 1. मिश्वरी पत्नी स्व0 मौहम्मद युसुफ निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 2. मोबीना पत्नी नौमान उर्फ चवन्नी निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को नईबस्ती हलालपुर खाली प्लाट निकट छोटी नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 450 ग्राम अवैध चरस व 2850/- रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 326/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मिश्वरी पत्नी स्व0 मौ0 युसुफ निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मोबीना पत्नी नौमान उर्फ चवन्नी निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 450 ग्राम अवैध चरस
- 2850/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

5. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. म0उ0नि0 रश्मि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 275 सचिन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 515 राहुल कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
9. का0 2201 विपन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
10. रि0म0का0 1170 रीता थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।